सं. 3-16/2012-13/एनवीबीडीसीपी/जेई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 21 सितंबर, 2016

जापानी इनसेफेलाइटिस मामलों की अधिसूचना

जापानी इनसेफेलाइटिस (जेई) जन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण चिंता का कारण है जिस कारण देश में पर्याप्त रुग्णता, मृत्यु और विकलांगता होती है । निवारात्मक उपायों और मामला प्रबंधन के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए जेई मामलों को शीघ्र रिपोर्ट करना आवश्यक है।

2. शीघ्र निदान और मामला प्रबंधन, संचरण को कम करने, आपाताकाल की समस्याओं, नए भौगोलिक क्षेत्रों में रोग के प्रचार की समस्याओं का समाधान करने के लिए, सभी जेई मामलों की संपूर्ण जानकारी रखना आवश्यक है। अतः स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता प्रत्येक जेई मामले को स्थानीय प्राधिकारियों अर्थात संबंधित जिला के जिला स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा नगर निगम/नगर पालिका के नगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी को प्रति सप्ताह (संचरण अवधि के दौरान) प्रतिदिन संसूचित करेगा।

3. तदनुसार, प्रयोगशाला से पुष्ट हुए जापानी इनसेफेलाइटिस के सभी मामलों को निम्नवत अधिसूचित किया जाएगाः

(क) प्रयोगशाला से पुष्टि किए गए जेई मामले की परिभाषाः

निम्नलिखिति में से किसी एक स्थिति वाले रोगीः-

- सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड (सीएसएफ) अथवा सीरम के एक नमूने में जेई वायरस से संबंधित 1जीएम एंडीबाडी की उपस्थिति, जैसा कि जेई वायरस के लिए विशिष्ट रूप से 1जीएम.के एलिसा जांच द्वारा पहचान की जाती है।
- बिमारी की तीव्रता और पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने के चरण में सीरम में हीमोग्लूटिनेशन इनटिबिशन (आईच) अथवा प्लेग रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन एस्से (पीआरएनटी) द्वारा जांच किए गए जेई वायरस से संबंधित एंटिबाडी में चार गुन अथवा अत्यधिक वृद्धि की संसूचना। 1जीजी के दो नमूनों के एकत्रीकरण में कम से कम 14 दिनों का अंतराल होना चाहिए। एक दूसरे से प्रतिक्रिया करने की संभावना को समाप्त करने के लिए 1जीजी जांच. को अन्य पुष्टिकारक जांचो के साथ करना चाहिए।
- सीरम, प्लाज्मा, सीएसएफ अथवा ऊतक में जेई वायरस का पृथक्करण।
- इम्यूनोकेमेस्ट्री द्वारा उतकों में जेई वायरस एंटीजन की संसूचना।
- रिवर्स ट्रांसक्रीप्टेस पॉलीमरेस चेन रिएक्शन (पीसीआर अथवा समान रूप से संवेदनशील और विशिष्ट न्यूक्लिइक एसिड एम्प्लीफिकेशन जांच द्वारा सीरम, प्लाज्मा, खून, सीएफएफ अथवा ऊतक में जेई वायरस जीनोम की संसूचना।

(ख) संभावित मामलों की परिभाषा इस प्रकार है-

किसी भी आयु का व्यक्ति, वर्ष के किसी समय, जिसे तीव्र ज्वर, जो 5-7 दिनों की अवधि से अधिक नहीं हो तथा जिसकी मानसिक स्थिति (दुविधा, भटकाव, कोमा अथवा बात करने की असमर्थता जैसे लक्षण सहित) में परिवर्तन हो और/अथवा उसे किसी प्रकार के दौरे (सामान्य बुखार से संबंधित दौरान को छोड़कर) की शुरूआत हो। अन्य आरंभिक नैदानिक जांच में चिड़चिड़ापन में वृद्धि, सामान्य बुखार से अधिक नींद अथवा सामान्य व्यवहार शामिल है।

4. इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु, स्वास्थ्य प्रदाता नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 2010 के तहत सरकारी (स्थानीय प्राधिकरणों सहित), निजी या एनजीओ क्षेत्रों तथा/या व्यक्तिगत प्रैक्टिशनरों द्वारा चलाए अथवा संभाले जाने वाली नैदानिक स्थापना शामिल होंगे।

5. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के डाक्टरों तथा निजी अस्पतालों/क्लिनिकों के पंजीकृत मेडिकल प्राइवेट प्रैक्टिशनरों को यदि उनके स्वास्थ्य संस्थान मे जेई का संदिग्ध रोगी आता है तो उसकी सूचना संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को तत्काल रूप से देना अनिवार्य है।

6. सभी जेई संदिग्ध रोगियों के रक्त नमूनों की एलिसा तकनीक द्वारा जांच किए जाने के लिए उन्हें जेई सेंटीनल सर्विलेंस अस्पताल (एसएसएच) में भेजा जाना आवश्यक है। निदान के बाद पॉजिटिव रोगी की सूचना जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को तत्काल भेजी जानी चाहिए।

7. जेई रोगियों का उपचार समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले तथा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय (एनवीबीडीसीपी), भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

8. विस्तृत जानकारी के लिए एनवीबीडीसीपी के संबंधित राज्य कार्यक्रम अधिकारियों जिनका विवरण www.nvbdcp.gov.in पर उपलब्ध है, से संपर्क किया जा सकता है।

(एस. नटराजन)
उप सचिव
दूरभाषः 23062432

तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषितः

1) सभी प्रमुख सचिव/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिव
2) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा निदेशक
3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एनवीबीडीसीपी
4) सभी जेई सेंटीनल सर्विलेंस अस्पताल (एसएसएच)

इन अनुरोध के साथ कि वे अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुपालन हेतु सभी संबंधित व्यक्तियों को इस परिपत्र की तत्काल सूचना दें।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के निजी सचिव
2) सचिव (एचएफडबल्यू)/डीजीएचएस/सचिव (आयुष)/ सचिव (एचआर) व डीजी-आईसीएमआर/विशे. डीजीएचएस
3) स्वा.प.क.मं/मा.स. के सभी अपर सचिव व संयुक्त सचिव के सभी निजी सचिव
4) निदेशक, एनवीबीडीसीपी/सभी उप महानिदेशक, स्वा. से. महानिदेशालय
5) निदेशक (मीडिया), स्वा.प.क.मं/भा.स.
6) सभी क्षेत्रीय निदेशक (स्वा.प.क./भा.स.) इस अनुरोध के साथ कि विशिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुपालन हेतु इस सरकारी आदेश को प्रसारित करने की व्यवस्था की जाए।
7) स्वा.प.क.मं/भा.स. (www.mohfw.nic.in) तथा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (www.nvbdcp.gov.in) की वेबसाइट।